आदेश

वाद सं. 58/25
BNSS 163

13/06/25 उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारण पृच्छा का अध्ययन करने, उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के दलीलों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि उभय पक्ष ने अलग-अलग निबंधित विक्रय पत्र द्वारा एक ही खाता तथा प्लॉट की भूमि को खरीदा है।

COURT FEE 10 COURT FEE 10

(2)

आदेश की क्र० सं० तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 58/25	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	उभय पक्ष एक दुसरे के विक्रयपत्र (sale deed) तथा स्वत्वाधिकार (Title) को भी स्वीकार करते हैं। उभय पक्ष के मध्य का विवाद उनके जमीन के परस्पर सटे होने के कारण है। सुनवाई के क्रम में उभय पक्ष यह स्वीकार किए कि सीमांकन (Demarcation) होने से उनके मध्य विवाद का निपटारा हो सकता है। उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे सीमांकन हेतु अंचल अधिकारी बिरनी को विहित रीति से आवेदन देंगे तथा अंचल अधिकारी, बिरनी को निर्देशित किया जाता है कि विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उभय पक्ष के भूमि का सीमांकन सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त घोषित की जाती है। लेखापित एवं संशोधित 13/06/25 SDM Bagodar Sariya. 13/06/25 SDM.	

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.08.25 13:09:17 +05:30
Location: 192.168.137.1